सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ, 1943 (श०)

संख्या- 295 राँची, बुधवार, 9 जून, 2021 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

9 जून, 2021

संख्या:- 01/नीति-05-05/2020- ***973***--झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम- II, 1915) की धारा 89 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, सह-पठित धारा 16 एवं 20 का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, देशी/मसालेदार/Flavoured देशी/भारत निर्मित विदेशी/आयातित विदेशी (मूल में बोतलबंद) शराब, (बीयर/वाईन/ब्रीजर/लिक्योर/शैम्पेन सहित) के भंडारण एवं थोक बिक्री हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 01/नीति-40-32/2010-2805 दिनांक 17.10.2010 द्वारा अधिसूचित झारखंड शराब (देशी शराब, मसालेदार देशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) थोक बिक्री नियमावली, 2012 को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** - (i) यह नियमावली ''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021'' कही जायेगी।

   (ii) इस नियमावली का विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

   (iii) यह नियमावली विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित तिथि से लागू होगी।

2. **परिभाषाएं -**

i. **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, 'झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915';

ii. **"राज्य"** से अभिप्रेत है, 'झारखंड राज्य' ;

iii. **"विभाग"** से अभिप्रेत है, 'उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड';

iv. **"कार्पोरेशन"** से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य बिवरेजेज कार्पोरेशन लि0;

v. **"वितरक/आपूर्तिकत्र्ता"** से अभिप्रेत है, वैसे शराब विनिर्माता, जिन्हें उत्पाद प्रपत्र 19C, 19E, 19F एवं CL Form No.- I, II & III अथवा समय-समय पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अंतर्गत मदिरा के थोक विक्रेताओं को डयूटी पेड मदिरा की आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त हो;

vi. **"थोक विक्रेता"** से अभिप्रेत है, वे व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्थान, जिन्हें इस नियमावली के तहत संलग्न प्रपत्र में मदिरा के थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;

vii. **"खुदरा विक्रेता"** से अभिप्रेत है, उपभोक्ताओं को मदिरा की सीलबंद बोतलों की खुदरा बिक्री के लिए विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञाधारी अथवा होटल, रेस्तरां, बार, क्लब एवं ऑन दुकानों में उपभोग हेतु मदिरा परोसने वाले अनुज्ञप्तिधारी;

viii. **"मदिरा"** से अभिप्रेत है, देशी/मसालेदार/Flavoured देशी/भारत निर्मित विदेशी/ आयातित विदेशी (मूल में बोतलबंद) शराब, (बीयर/वाईन/ब्रीजर/लिक्योर/शैम्पेन सहित) अथवा वैसे अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मदिरा घोषित किया गया है;

ix. **"ब्राण्ड"** से अभिप्रेत है, मदिरा के विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित अपने व्यापार चिन्ह एवं नाम की मदिरा के विभिन्न प्रकार यथा व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, वोदका, बीयर, वाईन एवं अन्य शराब, जिन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेताओं के माध्यम से खुदरा मदिरा विक्रेताओं/ होटल, बार, रेस्तरां, क्लब एवं ऑन दुकानों को बिक्री/उपभोग के लिए उपलब्ध कराया जायेगा;

x. **''एक्स डिस्टलरी प्राइस (Ex-distillery Price)''** से अभिप्रेत है, मदिरा के वितरकता/विनिर्माता अनुज्ञाधारियों द्वारा समर्पित मूल्य, जिसमें विनिर्माण लागत, पैकेजिंग लागत, सभी प्रकार के आयात/निर्यात/परिवहन/अनुज्ञप्ति शुल्क/ओवर हेड खर्च, लाभांश तथा परिवहन व्यय सम्मिलित हो;

xi. **''लैडिंग प्राइस (Landing Price)''** से अभिप्रेत है, थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारक के गोदाम में मदिरा पहुँचने तक का मूल्य;

xii. **"अधिकतम थोक बिक्री मूल्य"** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम- II, 1915) एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किये गये मदिरा का अधिकतम थोक बिक्री मूल्य;

xiii. **"अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य"** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम- II, 1915) एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए, मदिरा का निर्धारित अधिकतम मूल्य;

xiv. **"पेटी"** से अभिप्रेत है, विदेशी शराब के मामले में 1000 ML का 9 बोतल, 750 ML का 12 बोतल, 375 ML का 24 बोतल एवं 180 ML का 48 बोतल। बीयर के मामले में 650 ML का 12 बोतल, 500 ML, 330 ML, 325 ML का 24 बोतल/कैन तथा देशी शराब का 600 ML के 20 बोतल, 300 ML का 40 बोतल एवं 200 ML का 40 बोतल अथवा अन्य पैक साईज के लिए समय-समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित माप एवं संख्या;

xv. **"भारत निर्मित विदेशी शराब"** से अभिप्रेत है, भारत में बनायी हुई विदेशी शराब, जिसमें व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जीन, वोदका, बीयर, लो स्ट्रेंथ अल्कोहलिक बिवरेज (LAB) एवं वाईन इत्यादि सम्मिलित है;

xvi. **"आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद)"** से अभिप्रेत है, ''झारखंड उत्पाद (भारत में आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद) के आयात, निर्यात, परिवहन, वितरकता एवं थोक बिक्री से संबंधित) नियमावली, 2012'' में यथा परिभाषित;

xvii. **"अनुज्ञप्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, जिला के समाहर्ता/उपायुक्त;

xviii. **"अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क"** से अभिप्रेत है, मदिरा की थोक बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए समर्पित किये जाने वाले आवेदन के साथ संलग्न किया जाने वाला 25 लाख रूपये का चालान/बैंक ड्राफ्ट, जिसे वापस नहीं किया जायेगा एवं इस शुल्क की राशि समय-समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा संशोधित की जा सकेंगी।

xix. **"आवेदक"** से अभिप्रेत है, मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति/कम्पनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्य/साझेदारी फर्म के अधिकृत साझेदार/संस्थान के जिम्मेवार सदस्य;

xx. **"वर्ष"** से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष अर्थात किसी भी कैलेण्डर वर्ष के पहली अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष के इकत्तीस मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;

3. **थोक विक्रेता अनुज्ञप्तियों का स्थान एवं संख्या का निर्धारण** - (i) प्रत्येक जिला में मदिरा की थोक बिक्री की कम से कम एक अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जायेगी। जिलान्तर्गत मदिरा अनुज्ञप्ति की मांग एवं आपूर्ति किये जाने वाले मदिरा की मात्रा (जिला के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अनुसार) को दृष्टिपथ रखते हुए आयुक्त उत्पाद के द्वारा एक से अधिक अनुज्ञप्तियाँ स्वीकृत की जा सकेंगी। बाजार में मदिरा की मांग को दृष्टिपथ रखते हुए किसी प्रकार के एकाधिकार को विकसित होने से रोकने के लिए विभाग राज्य के कुल जिलों की संख्या का कम-से-कम 1.5 से 2 गुणा तक थोक बिक्री अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु प्रवृत्त होगा।

(ii) मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञप्तियों का संचालन जिलान्तर्गत पर्याप्त क्षमता वाले गोदाम के माध्यम से किया जायेगा। मदिरा की थोक बिक्री की अनुज्ञप्तियों का गोदाम, सुलभ परिवहन के दृष्टिकोण से "No Entry Zone" से बाहर होना चाहिए।

4. **मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता की अनिवार्य शर्त्तें** -

(i) मदिरा की थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति हेतु कोई भी व्यक्ति/कम्पनी/निबंधित साझेदारी फर्म पात्र हो सकता है।

(ii) क) आवेदक (व्यक्ति/कम्पनी के निदेशक/निबंधित साझेदारी फर्म के अधिकृत साझेदार/संस्थान के जिम्मेवार सदस्य), भारत का नागरिक हो एवं 21 वर्ष से कम आयु का न हो।

ख) आवेदक, व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा झारख्ंाड उत्पाद अधिनियम, 1915 के अंतर्गत बनायी गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित न किया गया हो।

ग) आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा किसी भी गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो। यदि किसी आवेदक को फौजदारी न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो, अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, औषधियों एवं प्रसाधन निर्मितियों (उत्पाद कर) अधिनियम, 1955 से संबंधित कानूनों एवं नियमों के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो इसके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

घ) आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई सरकारी बकाया न हो।

ड़) आवेदक दिवालिया न हो।

(iii) आवेदक, यदि कम्पनी/साझेदारी फर्म/संस्थान हो, तो कम्पनी के सभी निदेशक एवं साझेदारों के लिए उपरोक्त शर्तों के अनुरूप योग्यता रखना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करने वाले आवेदकों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. **आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजात** - झारखंड राज्य के किसी जिले में मदिरा की थोक विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक आवेदक, विहित प्रपत्र में अपना लिखित आवेदन आयुक्त उत्पाद के समक्ष समर्पित करेंगे। आवेदन में निम्न विवरणी का उल्लेख तथा कागजातों का संलग्न किया जाना आवश्यक होगा -

(क) आवेदक यदि व्यक्ति हो,

i. आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता (पत्राचार एवं स्थायी सहित);

ii. आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति;

iii. आवेदक के बैंक खाता की विवरणी;

iv. आवेदक का विगत तीन वित्तीय वर्षो का आयकर रिर्टन की प्रति;

(ख) आवेदक, यदि साझेदारी फर्म हो, तो नियम 5 (क) में वर्णित कागजातों के अतिरिक्त निम्नलिखित कागजात समर्पित करने होंगे -

i. नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित निबंधित साझेदारी फर्म से संबंधित विलेख (Deed) की दो प्रतियाँ;

ii. सभी साझेदारों का नाम, पूर्ण पता (पत्राचार एवं स्थायी) एवं पूर्ण बायोडाटा (Biodata);

iii. सभी साझेदारों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं निबंधित साझेदारी फर्म का पैन कार्ड की प्रति;

iv. चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित साझेदारी फर्म का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख;

v. सभी साझेदारों के बैंक खाता की विवरणी;

vi. निबंधित साझेदारी फर्म द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षो का आयकर रिर्टन एवं सभी साझेदारों का विगत तीन वित्तीय वर्षो का व्यक्तिगत आयकर रिर्टन की प्रति;

(ग) आवेदक, यदि कम्पनी हो, तो नियम 5 (क) में वर्णित कागजातों के अतिरिक्त निम्नलिखित कागजात समर्पित करने होंगे -

i. कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत कम्पनी के निगमन से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की दो प्रतियाँ;

ii. कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन (Memorandum of Association) एवं आर्टिकल्स ऑफ एशोसिएशन (Articles of Association) की दो प्रतियाँ;

iii. कम्पनी का विगत तीन वर्षो का अंकेक्षित (Audited) वित्तीय अभिलेख यथा बैलेंस शीट (Balance Sheet) एवं लाभ हानि खाता (Profit & Loss Account);

iv. कम्पनी की अवस्थिति के संबंध में प्रपत्र 18 की प्रति;

v. कम्पनी के निदेशकों के संबंध में प्रपत्र 29 एवं 32 की प्रति;

vi. कम्पनी का पैन कार्ड एवं कम्पनी के सभी निदेशकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र;

vii. कम्पनी एवं सभी निदेशकों का विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन की प्रति;

viii. कम्पनी का विगत तीन वित्तीय वर्षो का बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/प्रोफेशनल कर इत्यादि से संबंधित अद्यतन Return Filing की प्रति;

ix. कम्पनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) के द्वारा मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में पारित रिजोल्यूशन (Resolution) की प्रति;

x. कम्पनी के सभी निदेशकों के चालू बैंक खाता की प्रति;

xi. कम्पनी का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख;

(घ) प्रत्येक आवेदक (व्यक्ति/कम्पनी/साझेदारी फर्म/अन्य संस्थान) को नियम 5 (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित कागजातों के अतिरिक्त निम्न कागजात भी आवेदन के साथ समर्पित करने होंगे -

i. अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क से संबंधित चालान/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति;

ii. पूरे 5 वर्ष की अवधि का अनुज्ञप्ति शुल्क एवं जमानत की राशि का ड्राफ्ट;

iii. थोक बिक्री गोदाम के संचालन हेतु प्रस्तावित गोदाम के स्थल के संबंध में विवरणी, जिसमें स्थल का खाता संख्या/खेसरा संख्या, थाना, मोहल्ला, शहर एवं जिला इत्यादि अंकित हो;

iv. प्रस्तावित थोक बिक्री गोदाम के मालिकाना हक/किरायानामा इत्यादि से संबंधित कागजात;

v. प्रस्तावित थोक बिक्री गोदाम के नक्शा के ब्लू प्रिंट की तीन प्रतियाँ;

vi. आवेदक की वित्तीय क्षमता से संबंधित प्रमाण (राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वित्तीय क्षमता के संबंध में निर्गत प्रमाण पत्र अथवा आवेदक के चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र;

vii. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत उत्पाद विभाग के साथ सम्व्यवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडाटा;

viii. इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के अनुरूप शपथ पत्र;

ix. आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

6. **अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया** - (i) आयुक्त उत्पाद द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर मदिरा की थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(ii) झारखंड राज्य के किसी जिला में मदिरा की थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में इस कार्य हेतु विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पर सभी वांछित कागजातों के साथ आवेदन समर्पित करेगा। विज्ञप्ति प्रकाशन के कम-से-कम सात दिनों के पश्चात जैसा कि आयुक्त उत्पाद के द्वारा विनिश्चित किया जायेगा, ऑनलाइन आवेदन हेतु विभागीय पोर्टल को खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के तहत प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

मूल आवेदन के साथ संलग्न मूल कागजातों को भी जाँच हेतु आयुक्त उत्पाद के कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अगली तिथि को जमा करना आवश्यक होगा। इन अभ्यावेदनों की जाँच आयुक्त उत्पाद द्वारा गठित समिति के द्वारा की जायेगी। जाँचोपरांत योग्य आवेदकों के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा आयुक्त उत्पाद के द्वारा जिला के उपायुक्त/समाहत्र्ता को की जायेगी।

(iii) आयुक्त उत्पाद द्वारा अनुशंसित आवेदक द्वारा समर्पित स्थल, उसकी अवस्थिति एवं एतद संबंधी नक्शा की जाँच उपायुक्त/समाहत्र्ता द्वारा की जायेगी। स्थल के उपयुक्त पाये जाने पर इसे उपायुक्त/समाहत्र्ता के द्वारा अनुमोदित किया जायेगा एवं इसपर आयुक्त उत्पाद का भी अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

यदि आवेदक द्वारा समर्पित गोदाम उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उपायुक्त/समाहत्र्ता योग्य आवेदक को नये गोदाम का स्थल एवं उससे संबंधित नक्शा समर्पित करने के लिए निदेशित करेंगे। नये गोदाम को प्राप्त करने के लिए उपायुक्त/समाहत्र्ता आवेदक को अधिकतम एक माह का समय देंगे।

(iv) यदि किसी जिला की मदिरा की थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो वैसी परिस्थिति में उस आवेदक के साथ मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति बंदोबस्त कर दी जायेगी।

(v) यदि किसी जिला में मदिरा की थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती नहीं होती है, तो इस जिला के खुदरा उत्पाद दुकानों को अगल-बगल के जिला के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तियों के साथ मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु संबद्ध किया जायेगा। जिस थोक विक्रेता के साथ किसी अन्य जिला के खुदरा अनुज्ञाधारियों को संबद्ध किया जायेगा, उन्हें उस जिला का थोक बिक्री अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करना होगा।

(vi) आयुक्त उत्पाद द्वारा चयनित सफल योग्य आवेदक के द्वारा समर्पित स्थल को उपयुक्त पाये जाने के उपरांत अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा इस नियमावली के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में उनके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत कर दी जायेगी।

(vii) **जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्ति शुल्क** - राज्य अंतर्गत सभी जिलों में मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति के चयन के लिए प्रत्येक योग्य आवेदक को आवेदित जिला हेतु निर्धारित निम्न तालिका के अनुसार जमानत की राशि एवं पूरी अवधि का अनुज्ञप्ति शुल्क आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा -

क्र0	जिला का नाम	जमानत की राशि (संपूर्ण अनुज्ञप्ति अवधि के लिए) (लाख रूपये में)	अनुज्ञप्ति शुल्क, (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए) (लाख रूपये में)
1	राँची	50	100
2	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	50	100
3	धनबाद	50	100
4	बोकारो	25	50
5	गिरिडीह	25	50
6	हजारीबाग	25	50
7	पलामू	25	50

8	देवघर	25	50
9	रामगढ़	15	30
10	पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	15	30
11	सरायकेला-खरसावाँ	15	30
12	कोडरमा	15	30
13	दुमका	15	30
14	गढ़वा	15	30
15	साहेबगंज	15	30
16	गोड्डा	15	30
17	चतरा	15	30
18	पाकुड़	10	20
19	जामताड़ा	10	20
20	गुमला	10	20
21	सिमडेगा	10	20
22	लातेहार	10	20
23	लोहरदगा	10	20
24	खूँटी	10	20

परंतु, वित्तीय वर्ष के मध्य में किसी आवेदक के द्वारा इस प्रकार की अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाती है, तो वित्तीय वर्ष के उस तिमाही से शेष बचे हुए वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क त्रैमासिक समानुपातिक रूप से एकमुश्त देय होगा। उदाहरणस्वरूप- अनुज्ञप्ति शुल्क यदि द्वितीय तिमाही में आयुक्त उत्पाद के द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो आवेदक को तीन तिमाही का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। प्रथम तिमाही में अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने की स्थिति में पूरे वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।

(viii) सैन्य बलों के कैन्टिन (उत्पाद प्रपत्र 21) को मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु प्रदत्त रामगढ़ जिला में उत्पाद प्रपत्र 1 की अनुज्ञप्ति, इस नियमावली के क्रियाशील होने के उपरांत आवेदन के आधार पर, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुज्ञप्ति प्रपत्र में प्रदान की जायेगी। इस अनुज्ञप्ति हेतु जमानत की राशि 3 लाख रूपये तथा अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि 12 लाख रूपये प्रति वित्तीय वर्ष होगी। इस अनुज्ञप्ति के तहत झारखंड राज्य में असैनिक आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त वितरकता/विनिर्माता कम्पनियों के, केवल झारखंड राज्य में निबंधित ब्राण्डों की ही बिक्री की जायेगी।

(ix) **जमानत की राशि की वापसी** - अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार को देय सभी बकाया राशि के समायोजन के पश्चात जमानत की राशि की वापसी की जायेगी। समय-समय पर उक्त तालिका में वर्णित जमानत की राशि में परिवर्तन आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जा सकेगा।

7. **मदिरा के थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति की कालावधि** - (i) इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ पाँच वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के भाग के लिए बंदोबस्ती की जायेंगी। बंदोबस्ती अवधि के बाद भी इन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आयुक्त उत्पाद के अनुमोदन के पश्चात, मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गोदाम के संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार चलाये जाने तथा वांछित उत्पाद राजस्व की राशि जमा करने के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किया जा सकेगा।

(ii) इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्तियाँ एक वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्रदान की जायेगी, जिनका नवीकरण नियम 7 (i) के अनुरूप किया जा सकेगा।

(iii) प्रथम बार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु योग्य आवेदक को पाँच वित्तीय वर्षो का अनुज्ञप्ति शुल्क अग्रिम रूप में जमा करना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी आगामी वित्तीय वर्षो के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराना चाहता है एवं उनके देय बकाया राशि इत्यादि के समायोजन के पश्चात शेष बची अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि उन्हें वापस कर दी जायेगी।

(iv) अनुज्ञप्तियों का नवीकरण जिला के उपायुक्त/समाहत्र्ता के द्वारा किया जायेगा।

8. **कॉरपोरेशन के कार्य** - (i) इस नियमावली के तहत कॉरपोरशन मुख्यतः वितरकता/आपूर्तिकत्र्ता/विनिर्माता अनुज्ञप्तिधारियों एवं मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारियों के बीच समन्वय (Co-ordinator) का कार्य करेगा। कॉरपोरेशन थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारियों एवं खुदरा विक्रेता अनुज्ञप्तिधारियों/होटल, रेस्तरां, बार, क्लब एवं ऑन दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों के बीच समन्वय का कार्य करेगा।

(ii) वितरकता/आपूर्तिकत्र्ता/विनिर्माता अनुज्ञप्तिधारियों, मदिरा की थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुदरा विक्रेता अनुज्ञप्तिधारियों/होटल, रेस्तरां, बार, क्लब एवं ऑन दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कॉरपोरेशन के वेबसाइट को मदिरा की आपूर्ति हेतु मांग (Indent) लगाने एवं एतद संबंधित पारक प्राप्त करने तथा पंजियों के संधारण के लिए किया जायेगा।

(iii) कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर विकसित एवं प्रयोग में लायी जा रही विभिन्न प्रकार के प्रपत्र एवं पंजियों के अनुसार ही थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्कन्ध (Stock) का संधारण किया जायेगा।

(iv) उपरोक्त सुविधाओं के एवज में कॉरपोरेशन थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारियों से सेवा शुल्क (Service Charge) प्राप्त करेगा। इस सेवा शुल्क का अधिकतम 20% तथा JSBCL की संचित निधि की राशि का उपयोग अवैध मदिरा के कारोबार के विरूद्ध आसूचना संग्रहण के खर्च एवं अवैध मदिरा के व्यापार के उद्भेदन से जुड़े हुए आसूचक को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए किया जायेगा।

इस नियम के तहत राशि की मांग जिला उत्पाद पदाधिकारी (सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद) के द्वारा आयुक्त उत्पाद से की जायेगी। इस मांग की पूत्ति के लिए

प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि को आयुक्त उत्पाद एवं JSBCL के प्रबंध निदेशक संयुक्त बैठक करेंगे। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आसूचना संग्रहण एवं प्रोत्साहन राशि की मांग पर निर्णय लेते हुए जिला उत्पाद पदाधिकारी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

9. **मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम में मदिरा आपूर्ति की प्रक्रिया** - (i) मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा वितरक/आपूर्तिकत्ता अनुज्ञाधारियों से मदिरा आपूर्ति हेतु मांग (Indent) की जायेगी। उक्त के आधार पर मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम में भारत निर्मित विदेशी शराब/आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद)/ बीयर/वाईन इत्यादि की आपूर्ति राज्य में कार्यरत अनुज्ञप्ति प्राप्त वितरकता अनुज्ञप्तिधारियों (19C, 19B एवं 19F) तथा देशी/मसालेदार/Flavoured देशी शराब की आपूर्ति राज्य में कार्यरत देशी शराब के विनिर्माता अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा की जायेगी। आपूर्तित मदिरा के मूल्य का भुगतान थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा Landing Price के अनुसार सीधे वितरकता/ विनिर्माता अनुज्ञप्तिधारियों को किया जायेगा।

(ii) मदिरा के वितरकता/विनिर्माणकत्ता अनुज्ञप्तिधारियों के गोदाम से थोक बिक्री के अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम में मदिरा के परिवहन हेतु JSBCL के पोर्टल के माध्यम से परिवहन पारक उत्पाद विभाग के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत किया जायेगा। एतद संबंधित परिवहन पारक (Permit) उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मुख्यालय में पदस्थापित सहायक आयुक्त उत्पाद से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(iii) मदिरा के वितरकता/विनिर्माणकत्ता अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रेषित स्कन्ध का संचयन गोदाम के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। मदिरा संचयन से संबंधित सभी वांछित प्रविष्टियाँ संबंधित पंजियों में की जायेंगी। आयुक्त उत्पाद द्वारा अनुमोदित गोदाम में ही मदिरा संचित की जायेगी।

10. **मदिरा की क्षति की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की देयता** - (i) वितरकता/ आपूर्तिकत्ता गोदाम से थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में मदिरा के परिवहन की जिम्मेवारी वितरकता/आपूर्तिकत्ता अनुज्ञाधारी की होगी। मदिरा की थोक बिक्री गोदाम में संचयन होने के उपरांत, चोरी/विनष्ट होने पर चोरी/विनष्ट हुए मदिरा की मात्रा पर अधिरोपित किये जाने वाला उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty)/अतिरिक्त उत्पाद कर (Additional Excise Duty) थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी को देना होगा।

(ii) परिवहन/संचयन के क्रम में अधिकतम 0.25% की परिवहन क्षति/संचयन क्षति अनुमत होगी। इस सीमा तक हुई क्षति के लिए उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty)/अतिरिक्त उत्पाद कर (Additional Excise Duty) नहीं देना होगा।

(iii) अपरिहार्य कारणों से हुई क्षति अथवा जिस परिस्थिति पर अनुज्ञाधारी का नियंत्रण नहीं है, के लिए अनुज्ञाधारी उक्त करों की माफी के लिए आयुक्त उत्पाद के समक्ष आवेदन देगा, जिसपर आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा।

11. **मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम से खुदरा उत्पाद दुकानों, होटल, बार, रेस्तरां, क्लब एवं ऑन दुकान को मदिरा आपूर्ति की प्रक्रिया** - (i) मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम से मदिरा की बिक्री केवल खुदरा उत्पाद दुकानों, होटल, बार, रेस्तरां, क्लब एवं ऑन दुकान के अनुज्ञाधारियों को ही की जायेगी।

(ii) खुदरा उत्पाद दुकानों, होटल, बार, रेस्तरां, क्लब एवं ऑन दुकान के अनुज्ञाधारी इस कार्य हेतु JSBCL के पोर्टल के माध्यम से पारक निर्गत करने हेतु आपूर्ति आवेदन (Indent) लगायेंगे। इन अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा Indent के अनुसार मदिरा का थोक बिक्री मूल्य का भुगतान, मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी को किया जायेगा।

(iii) खुदरा अनुज्ञाधारी/होटल, बार, रेस्तरां एवं क्लब/ऑन दुकान के द्वारा मासिक उत्पाद परिवहन कर (Monthly Excise Transport Duty) एवं अतिरिक्त उत्पाद कर (Additional Excise Duty) का भुगतान अपने वॉलेट के माध्यम से JSBCL को किया जायेगा।

मासिक उत्पाद परिवहन कर जमा करने की तिथि तक अग्रिम उत्पाद परिवहन कर के रूप में जमा राशि से अधिक उत्पाद परिवहन कर मूल्य की मदिरा का उठाव अनुमत नहीं होगा। यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी उक्त तिथि के पूर्व अग्रिम उत्पाद परिवहन कर से अधिक मात्रा में मदिरा का उठाव करना चाहता है, तो उसे अतिरिक्त उत्पाद परिवहन कर जमा करना होगा।

(iv) मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम से खुदरा उत्पाद दुकानों, होटल, बार, रेस्तरां, क्लब एवं ऑन दुकान को मदिरा की आपूर्ति हेतु परिवहन पारक संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा निर्गत किया जायेगा।

जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा जिला अन्तर्गत मदिरा परिवहन हेतु अधिकतम दो दिन का समय परिवहन पारक में दिया जायेगा। किसी कारणवश दो दिन के अंदर मदिरा का उठाव नहीं करने की स्थिति में परिवहन पारक की अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा।

(v) थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी, विभाग द्वारा निबंधित/अनुमोदित लेबलों से भिन्न ब्राण्ड की मदिरा की बिक्री नहीं कर सकेंगे। जिन ब्राण्ड पर Excise Adhesive Lable नहीं चिपका हुआ हो, उसकी भी बिक्री नहीं की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी Expired Stock की भी बिक्री नहीं करेगा।

12. **थोक विक्रेता गोदाम हेतु न्यूनतम स्कन्ध (Stock) का निर्धारण** - (i) मदिरा की प्रत्येक थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी को अपने गोदाम में जिला के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अनुरूप अबाधित आपूर्ति हेतु न्यूनतम स्कन्ध (Stock) का संधारण करना अनिवार्य होगा। सामान्यतः

गोदाम में जिला के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 50% स्कन्ध (Stock) संधारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक थोक विक्रेता इस निमित्त प्रत्येक ब्राण्ड का न्यूनतम स्कन्ध संधारित करेगा। प्रत्येक थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति के लिए किसी भी समय संधारित किये जाने योग्य न्यूनतम स्कन्ध (Stock) के संबंध में आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा, जिसे मानना प्रत्येक अनुज्ञाधारी के लिए बाध्यकारी होगा।

(ii) यदि कोई खदुरा उत्पाद अनुज्ञाधारी "न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व" से अधिक मदिरा का उठाव करता है, तो वैसी परिस्थिति में अतिरिक्त उठायी गई मदिरा के उपर अधिरोपित किया जाने वाला "उत्पाद परिवहन कर" में 20% की छूट खुदरा अनुज्ञाधारी को दी जायेगी। इस 20% के छूट की राशि का आधा इन्हें थोक विक्रेता अनुज्ञाधारी को देना होगा। यदि खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी एक से अधिक थोक विक्रेताओं के गोदाम से मदिरा का उठाव करता है, तो इन्हें थोक विक्रेता अनुज्ञाधारियों के साथ मदिरा उठाव के समानुपातिक मात्रा में छूट की राशि, साझा (Share) करना होगा। खुदरा अनुज्ञाधारी इस राशि का भुगतान सीधे थोक अनुज्ञाधारी को मदिरा के मूल्य के साथ करेगा।

13. **मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारियों का लाभांश** - (i) भारत निर्मित विदेशी शराब यथा विस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, बीयर, वाईन, Low Strength Carbonated Alcohlic Beverage (LAB) यथा ब्रीजर इत्यादि के लिए मदिरा के थोक विक्रेता का लाभांश अनुज्ञप्ति परिसर में लैंडिंग मूल्य का 2.5% तथा देशी/मसालेदार/Flavoured देशी शराब की थोक बिक्री के लिए मदिरा के थोक अनुज्ञाधारी का लाभांश थोक अनुज्ञप्ति परिसर में लैंडिंग मूल्य का 1% निर्धारित किया जाता है।

(ii) राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात थोक अनुज्ञप्तिधारी के लाभांश में परिवर्तन किया जा सकेगा।

(iii) विभिन्न प्रकार के परिवहन पारकों को निर्गत करने/पंजियों के संधारण एवं बिक्री हेतु JSBCL के पोर्टल का उपयोग करने के एवज में थोक अनुज्ञप्तिधारी, वितरक/आपूर्तिकत्र्ता के पास मदिरा आपूर्ति हेतु Indent लगाये जाने के समय ही मदिरा के लाभांश का 10% JSBCL को सेवा शुल्क (Service Charge) के रूप में हस्तांतरण करेगा।

14. **मदिरा के थोक बिक्री के गोदाम के कार्य करने की अवधि** - मदिरा के थोक बिक्री की गोदामें पूर्वाहन 09:00 बजे से रात्रि 07:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।

15. **मदिरा के थोक बिक्री के गोदामों को बंद करना** - (i) मदिरा की थोक बिक्री की गोदामें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, विजयादशमी, रामनवमी, होली एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त जिला के उपायुक्त केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर अथवा निर्वाचन कार्य इत्यादि, के लिए यदि आवश्यक समझें, तो आत्मधारित आदेश पारित कर

मदिरा की थोक बिक्री की गोदामों की बंदी करा सकेंगे। इसके लिए अनुज्ञाधारी को किसी प्रकार की क्षतिपूत्ति देय नहीं होगी।

(ii) केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका के आधार पर मदिरा की थोक बिक्री की गोदामों को बंद नहीं कराया जायेगा।

(iii) अपरिहार्य कारणों से मदिरा की थोक बिक्री गोदाम में आपूर्ति में विलंब होने, किसी अन्य विधि व्यवस्था अथवा दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक आंदोलनों आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार क्षतिपूत्ति सरकार द्वारा देय नहीं होगी।

16. **मदिरा के थोक बिक्री के गोदामों में स्टॉक रजिस्टर का संधारण** - विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र एवं JSBCL के पोर्टल में ऑनलाइन संधारित किये जाने वाले पंजियों में अनुज्ञाधारी प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा-जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा। भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निदेशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करें, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा।

17. आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्देशित तकनीकी संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं की स्थापना - संपूर्ण झारखंड राज्य में कार्यरत मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञाधारियों के पास मौजूद स्टॉक, इसकी बिक्री इत्यादि से संबंधित विवरणी केन्द्रीय रूप से प्राप्त करने के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Billing Machine से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से गोदाम में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा। इसके अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निदेश नहीं मानने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकार द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

18. **मदिरा के थोक बिक्री के गोदामों का निरीक्षण** - उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून सभी उत्पाद पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मदिरा के थोक बिक्री के गोदामों का निरीक्षण कर सकेंगे। अवर निरीक्षक उत्पाद के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र अन्तर्गत सभी गोदामों का निरीक्षण माह में कम-से-कम एक बार किया जाना आवश्यक होगा तथा निरीक्षक उत्पाद अपने क्षेत्रान्तर्गत तीन माह में सभी गोदामों का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

19. **थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम में बिकने वाली मदिरा की मात्रा एवं शक्ति** - थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम से बिकने वाली प्रति Packaged इकाई की मात्रा एवं अल्कोहिक शक्ति वही होगी, जो सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा समय-समय पर प्रावधानित की जायेगी।

20. **मदिरा के थोक बिक्री के गोदाम में मौजूद स्कन्ध की गुणवत्ता की जाँच** - जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से अन्यून पदाधिकारी द्वारा मदिरा के थोक बिक्री के गोदाम में मौजूद स्कन्ध की गुणवत्ता की जाँच अनुज्ञाधारी के लागत पर करायी जा सकेगी। मदिरा के FSSAI मानकों के अनुरूप नहीं होने पर अनुज्ञप्तिधारी एवं उस ब्राण्ड के आपूर्तिकत्ता कम्पनी के उपर जाँचोपरांत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

21. मदिरा के ऊपर अधिरोपित किसी भी प्रकार के शुल्क/कर की दर में परिवर्तन होने पर राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या 23-137-2 दिनांक 29.04.1919 के नियम 147 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्तियों का वैध वारिस को स्थानांतरण- अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में यदि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम तब तक क्रियाशील रहेंगी, जबतक कि उसका स्थानांतरण जिला के उपायुक्त के द्वारा भूतपूर्व अनुज्ञाधारी के वैध वारिस को नहीं कर दिया जाता है, बशर्त्ते कि इस अनुज्ञप्ति के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के देयताओं एवं दावों की भरपाई कर दी गई हो एवं भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी का वैध वारिस अनुज्ञप्ति धारण करने का पात्र हो। अनुज्ञप्ति के नाम स्थानांतरण के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त के द्वारा एक माह के अंदर इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।

23. **थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी के गोदामों का स्थानांतरण** - थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी के गोदामों के संचालन के क्रम में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिपथ रखते हुए थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम के स्थल स्थानांतरण की अनुमति आयुक्त उत्पाद के अनुमोदनोपरांत जिला के उपायुक्त/समाहत्ता द्वारा दी जा सकती है।

24. **मदिरा के मानव उपभोग योग्य नहीं रहने पर मदिरा के निष्पादन की प्रक्रिया** - किसी भी प्रकार की मदिरा के लिए यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि यह अब मानव उपभोग योग्य नहीं है, तो मदिरा के थोक विक्रेता के द्वारा जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के समक्ष इसके विनष्टीकरण के लिए आवेदन किया जायेगा। इस प्रकार की मदिरा के विनष्टीकरण के लिए सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद आदेश करेंगे। सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि एवं मदिरा के थोक विक्रेता के प्रतिनिधि तथा मदिरा के ब्राण्डधारक कम्पनी के प्रतिनिधि के समक्ष मदिरा का विनष्टीकरण करेंगे। एतद् संबंधी नोटिस दिये जाने के बावजूद यदि मदिरा के ब्राण्डधारक कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में भी मदिरा का विनष्टीकरण किया जायेगा। विनष्टीकरण के पश्चात मदिरा के थोक विक्रेता अपने स्कन्ध पंजी से ऐसे स्कन्ध को घटा देंगे। विनष्टीकरण के कार्रवाई की

वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी एवं इसके CD की एक प्रति जिला उत्पाद कार्यालय तथा एक प्रति अनुज्ञाधारी के पास सुरक्षित रखी जायेगी।

25. थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत गोदाम में मदिरा संचयन के पूर्व, गोदाम में अग्नि शमन विभाग के मापदण्डों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

26. **अनुज्ञप्ति का निलंबन, निरस्तीकरण और शास्तियाँ** - (i) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, आयुक्त उत्पाद की सहमति के उपरांत अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त कर सकता है -

क) यदि अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरायुक्त बोतल की पेटियाँ पायी जाय, जिसपर उत्पाद शुल्क/कर का भुगतान नहीं किया गया हो, और जिसपर आयुक्त उत्पाद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में उत्पाद विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा कोड चिपकाया नहीं गया हो।

ख) यदि अनुज्ञप्ति परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि से भी बोतल या पात्र (जिसके लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की गई है), की पेटियाँ पायी जाती हैं।

ग) अधिनियमों व नियमों के उपबंधों के विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में यदि कोई मदिरा या मादक औषधि पाया जाता है।

घ) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है एवं उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।

ड़) यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञप्ति फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है।

च) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति शुल्क एवं अन्य देयताओं की पूत्ति विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है।

छ) यदि अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद अधिनियम में या किसी संज्ञेय एवं गैरजमानतीय अपराध में या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किसी अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति के समपहरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी नोटिस प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात एतद संबंधी उपयुक्त आदेश आयुक्त उत्पाद की सहमति प्राप्त करने के पश्चात पारित करेगा।

(ii) अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्ति शुल्क सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी कोई प्रतिकर या

वापसी के दावे का हकदार नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को काली सूची में भी डाला जायेगा तथा उसे अन्य कोई उत्पाद अनुज्ञप्ति धारित करने से 5 वर्षो के लिए वर्जित किया जायेगा।

27. मदिरा के थोक बिक्री के गोदामों की अनुज्ञप्ति हेतु इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्रों में आवश्यकतानुसार संशोधन तथा आवश्यकतानुसार नये प्रपत्रों का गठन आयुक्त उत्पाद द्वारा किया जा सकेगा।

28. ''झारखंड मदिरा के भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021'' में प्रयुक्त शब्द अथवा नियम की व्याख्या में संशय होने पर इसे आयुक्त उत्पाद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा। इस नियमावली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, राजस्व हित, प्रशासनिक हित तथा व्यावसायिक सुगमता हेतु आयुक्त उत्पाद निर्देश जारी करने एवं निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

29. इस नियमावली के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

30. **निरसन** - (i) सभी प्रकार के मदिरा की थोक बिक्री के गोदाम से संबंधित, सभी पूर्व निर्गत नियमावली, इस नियमावली के तहत गोदामों का संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से निरसित हो जायेंगी तथापि ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में लिये गये सभी निर्णय इस नियमावली के तहत समझे जायेंगे।

(ii) इस नियमावली के पूर्ण रूप से प्रवृत्त करने के निमित्त आयुक्त उत्पाद, जिसे वे उचित समझे निदेश/आदेश/प्रपत्र/विहित फार्म जारी कर सकेंगे, परंतु ऐसा कोई निदेश/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा, जो इस नियमावली के विपरीत हो।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चैबे,
सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद।

शपथ पत्र

(नियम - 5 (घ) के अनुरूप)

मैं, ..., पिता- ...., ... का निवासी हूँ। मैं, ''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021'' के तहत .... जिला में मदिरा की थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति लेने हेतु सभी अर्हताओं को पूरी करता हूँ एवं इस अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती लेने हेतु इच्छुक हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि -

i. मेरी आयु 21 वर्ष से अधिक है।

ii. मैं, समय-समय पर यथा संशोधित झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अनुकूल गोदाम खोलने हेतु आपत्तिरहित उपयुक्त परिसर रखता हूँ अथवा किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर सकता हूँ एवं परिसर नहीं प्राप्त करने की स्थिति के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूगाँ।

iii. मेरे द्वारा चयनित गोदाम के परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

iv. मेरा नैतिक चरित्र अच्छा है। मेरी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। मुझे, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985, झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, औषधियों एवं प्रसाधन निर्मित्तियाँ (उत्पाद कर) अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

v. मेरे ऊपर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

vi. मैं, सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं हूँ। यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि मैं, माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हूँ, तो मुझे प्रदान की गई अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाए।

vii. मैं, आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्धारित अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क/अनुज्ञप्ति शुल्क/जमानत की राशि विभाग को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जैसा कि आयुक्त उत्पाद निर्धारित करेंगे, आवेदन के साथ जमा कर दूँगा।

viii. मैं, आयकरदाता हूँ।

ix. मैं, दिवालिया नहीं हूँ और आवश्यक निधि रखता हूँ। "या", मैंने कारोबार के सम्व्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबंध कर लिया है, जिसका ब्यौरा यदि अपेक्षित होगा, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकार को उपलब्ध करा दूँगा (जो लागू न हो, काट दें)।

x. मैं/मेरा साझेदारी फर्म/कम्पनी, व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के अंतर्गत बनायी गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित नहीँ किया गया है।

xi. अनुज्ञप्ति हेतु योग्य घोषित होने पर मैं जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्ति शुल्क ससमय जमा कर दूँगा।

xii. उपरोक्त शपथ में दिये गये सभी कथन सत्य हैं और किसी तथ्य को छुपाये जाने पर जिसकी जानकारी बाद में यदि सरकार को मिलती है, तो मेरी अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है एवं इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा एवं मेरे ऊपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

नोटरी पब्लिक का हस्ताक्षर एवं उनकी पहचान संख्या

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

<u>झारखंड राज्य में थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का प्रपत्र</u>

1. जिला का नाम (जिस जिला के लिए अनुज्ञप्ति वांछित है):-
2. आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता (आवेदक, यदि कम्पनी/साझेदारी फर्म है, तो सभी निदेशकों/साझेदारों का नाम एवं पूर्ण पता):-
   - क) ....
   - ख) ....
   - ग) ....
3. आवेदक/सभी आवेदकों का छः माह के अंदर का लिया गया पासपोर्ट साईज का स्वअभिप्रमाणित फोटोग्राफ, जिसपर उनका नाम एवं जन्म तिथि अंकित हो -

आवेदक/सभी आवेदकों का फोटो (नाम एवं जन्मतिथि सहित)

4. आवेदक का आधार कार्ड संख्या (अभिप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें):- ....
5. आवेदक का पैन कार्ड संख्या (अभिप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें):- ....
6. आवेदक का मतदाता पहचान पत्र संख्या (अभिप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें):- ....
7. आवेदक के बैंक खाता की विवरणी (अभिप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें):- संलग्न है/संलग्न नहीं है/लागू नहीं।
8. विगत तीन वित्तीय वर्षो का ITR Return की प्रति (अभिप्रमाणित फोटोका ॅपी संलग्न करें):- संलग्न है/संलग्न नहीं है/लागू नहीं ।
9. विगत तीन वित्तीय वर्षो का बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/प्रोफेशनल कर/GST की अभीप्रमाणित प्रति:- संलग्न है/संलग्न नहीं है/लागू नहीं ।
10. अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क एवं संपूर्ण बंदोबस्ती अवधि के अनुज्ञप्ति शुल्क एवं जमानत की राशि से संबंधित चालान/बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) - संलग्न है/संलग्न नहीं है/लागू नहीं ।
11. प्रस्तावित थोक बिक्री गोदाम के मालिकाना हक/किरायानामा इत्यादि से संबंधित कागजात (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) - संलग्न है/संलग्न नहीं है/लागू नहीं ।
12. प्रस्तावित थोक बिक्री गोदाम के नक्शा के ब्लू प्रिंट की तीन प्रतियाँ (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) - संलग्न है/संलग्न नहीं है/लागू नहीं ।
13. आवेदक की वित्तीय क्षमता से संबंधित प्रमाण (राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वित्तीय क्षमता के संबंध में निर्गत प्रमाण पत्र अथवा आवेदक के चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) - संलग्न है/संलग्न नहीं है/लागू नहीं ।
14. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत उत्पाद विभाग के साथ सम्व्यवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडाटा (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) - संलग्न है/संलग्न नहीं है/लागू नहीं ।

15. शपथ पत्र (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) - संलग्न है/संलग्न नहीं है/लागू नहीं ।
16. आवेदक यदि साझेदारी फर्म है, तो नियम 5 (ख) में वर्णित कागजात (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें):- संलग्न है/संलग्न नहीं है/लागू नहीं ।
17. आवेदक यदि कम्पनी है, तो नियम 5 (घ) में वर्णित कागजात (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें):- संलग्न है/संलग्न नहीं है/लागू नहीं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में उपरोक्त विवरणी सत्य है तथा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। उपरोक्त वर्णित विवरणी को गलत पाये जाने की स्थिति में मेरे आवेदन को निरस्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी मेरी होगी। अनुज्ञप्ति प्राप्ति के बाद भी किसी तथ्य के छुपाये जाने की जानकारी यदि बाद में सरकार को मिलती है, तो मेरी अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा एवं मेरे उपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर
(आवेदक यदि कम्पनी है, तो निदेशक मंडल
के सभी निदेशक का हस्ताक्षर अथवा
साझेदारी फर्म है, तो सभी साझेदारों का
हस्ताक्षर आवश्यक होगा)

''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021'' के तहत मदिरा की थोक विक्रेता की

Provisional/Final अनुज्ञप्ति **(Counter Foil)**

(जिला की प्रति)

आवेदक का फोटो	गोदाम का फोटो

1. गोदाम का पता - .... जिला - ....
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम - ....
. अनुज्ञप्तिधारी के पिता/पति का नाम - ....
4. अनुज्ञप्तिधारी का पता - ....
5. अनुज्ञप्ति संख्या - .... वर्ष ....
6. बंदोबस्ती की अवधि - ....
7. अनुज्ञप्ति की अवधि - ....
8. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)
9. जमानत की राशि - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)
10. गोदाम की अवस्थिति का क्षेत्र - ....
11. गोदाम का अक्षांश - .... देशांतर - ....
12. भूगृहादि का विवरण (गोदाम की चैहद्दी) - ....
    उत्तर - .... दक्षिण - ....
    पूरब - .... पश्चिम- ....
13. अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष - वित्तीय वर्ष ....
    वित्तीय वर्ष ....
    वित्तीय वर्ष ....

दिनांक ....

जिला ....

लाइसेंस प्राधिकारी

समाहत्र्ता/उपायुक्त

''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021'' के तहत मदिरा की थोक विक्रेता की

Provisional/Final अनुज्ञप्ति **(Counter Foil)**

आवेदक का फोटो	गोदाम का फोटो

1. गोदाम का पता - .... जिला - ....
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम - ....

. अनुज्ञप्तिधारी के पिता/पति का नाम - ....

4. अनुज्ञप्तिधारी का पता - ....
5. अनुज्ञप्ति संख्या - .... वर्ष ....
6. बंदोबस्ती की अवधि - ....
7. अनुज्ञप्ति की अवधि - ....
8. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)
9. जमानत की राशि - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)
10. गोदाम की अवस्थिति का क्षेत्र - ....
11. गोदाम का अक्षांश - .... देशांतर - ....
12. भूगृहादि का विवरण (गोदाम की चौहद्दी) - ....

    उत्तर - .... दक्षिण - ....

    पूरब - .... पश्चिम - ....
13. अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष - वित्तीय वर्ष ....

    वित्तीय वर्ष ....

    वित्तीय वर्ष ....

विदित हो कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार श्री .... को .... जिला के समाहत्र्ता/उपायुक्त के द्वारा दिनांक .... से दिनांक .... तक की अवधि के लिए ''झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021'' में वर्णित शर्तों के तहत खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों तथा होटल, रेस्तरां, बार, क्लब एवं ऑन दुकान के अनुज्ञप्तिधारियों को मदिरा की थोक बिक्री हेतु, मदिरा की थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 16 एवं 20 के अनुसार प्रदान की जाती है।

अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्त्तें

1. "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021" की शर्त्तें अनुज्ञप्ति की शर्त्तें मानी जायेंगी एवं अनुज्ञाधारी को इसका पालन करना बाध्यकारी होगा।
2. अनुज्ञप्तियों के नवीकरण की प्रक्रिया "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021" के नियम 7 के अनुरूप की जायेगी।
3. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क एवं जमानत की राशि का भुगतान "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021" के नियम 6 के अनुरूप किया जायेगा।
4. इस अनुज्ञप्ति के तहत मदिरा की थोक बिक्री हेतु गोदाम पूर्वाहन 09:00 से रात्रि के 07:00 बजे तक संचालित की जायेंगी।
5. "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021" के नियम 15 के अनुसार मदिरा की थोक बिक्री की गोदामें, शुष्क दिवसों पर बंद रहेंगी।
6. "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021" के नियम 16 के तहत अनुज्ञाधारी विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा-जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा। भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निदेशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करें, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा। इस नियमावली के नियम 17 के अनुरूप आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Billing Machine से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से दुकान में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा।
7. "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021" के नियम 22 के अनुसार अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में यदि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियाँ तबतक क्रियाशील रहेंगी, जबतक कि उसका स्थानांतरण जिला के उपायुक्त के द्वारा भूतपूर्व अनुज्ञाधारी के वैध वारिस को नहीं कर दिया जाता है, बशर्त्ते कि इस अनुज्ञप्ति के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के देयताओं एवं दावों की भरपाई कर दी गई हो एवं भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी का वैध वारिस अनुज्ञप्ति धारण करने का पात्र हो। अनुज्ञप्ति नवीकरण के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त के द्वारा एक माह के अंदर इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।
8. थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के गोदाम से बिकने वाली प्रति Packaged इकाई की मात्रा एवं अल्कोहिक शक्ति वही होगी, जो सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा समय-समय पर प्रावधानित की जायेगी।
9. "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2021" के नियम 26 के तहत अनुज्ञप्तियों के निलंबन, निरस्तीकरण एवं शास्तियों की कार्रवाई की जायेगी।
10. अनुज्ञप्तिधारी, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों एवं आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

11. गोदामों के निरीक्षण, स्कन्ध का भौतिक सत्यापन एवं कागजातों की जाँच के दौरान अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
12. मदिरा की थोक बिक्री की बंदोबस्ती से संबंधित इस नीति को समीक्षोपरांत राज्य सरकार कभी भी समाप्त/संशोधित कर सकती है। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार का क्षतिपूत्ति अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
13. मदिरा की थोक बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है, अनुज्ञाधारी को अनुज्ञप्ति परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
14. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरपूरफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों को बिगाड़ना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
15. अनुज्ञाप्तिधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।
16. अनुज्ञाप्तिधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, के लिए उत्तरदायी होगा।
17. अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा किसी भी ब्राण्ड की बिक्री बढ़ाने के लिए किसी को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।
18. अनुज्ञाप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित नियम 117 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
19 अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति परिसर में स्वचालित अग्नि निरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र निश्चित रूप से लगायेगा।
20. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष सिंडिकेट का सदस्य नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी मदिरा आपूर्ति से संबंधि किसी भी कम्पनी से किसी भी प्रकार का गिफ्ट/प्रलोभन/नगद/विदेश यात्रा/कूपन इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करेगा।

दिनांक ....

जिला ....

लाइसेंस प्राधिकारी
समाहर्त्ता/उपायुक्त

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 295 -- 50